प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून : दिनांक : 12 फरवरी, 2019**

विषयः– 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2020 होने के दृष्टिगत जनपद–देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड स्थित इन्डोर स्टेडियम के अतिरिक्त निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 एवं वित्त विभाग दिनांक 19 फरवरी, 2016 को दी गयी सहमति द्वारा ₹ 1439.06 लाख *(सिविल निर्माण कार्यों हेतु ₹ 810.86 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹ 628.20 लाख)* की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2020 होने के दृष्टिगत **जनपद–देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड स्थित इन्डोर स्टेडियम के अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु** नामित कार्यदायी संस्था द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण विकास निगम (खेल इकाई), देहरादून द्वारा तैयार किया गया प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा ₹ 384.76 लाख के सापेक्ष संस्तुत **औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 379.94 लाख (सिविल निर्माण कार्यों हेतु ₹ 58.31 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹ 321.63 लाख)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **चालू वित्तीय वर्ष 2018–19** में कार्य की महत्ता एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ***प्रथम किस्त*** के रूप में 40% यानीकि **₹ 152.00 लाख (₹ एक करोड़ बावन लाख मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की ***"राज्यपाल महोदया"*** सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि ***चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय-03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-26-38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान पक्ष*** के नामे डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-147(म0)/XXVII(3)/2018-19, दिनांक 06 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक :- अलाटमेंट आई0डी0 संख्या- S1902110160 ,दिनांक 12 फरवरी, 2019

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

F:\JAN-2019 FOLDER\FINANCE 2019\G.O.Docx

पृष्ठांकन संख्या– 860/VI/2019–22(9)/2012–T.C-IST, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. जिला कीडाधिकारी, देहरादून।
7. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (खेल इकाई), देहरादून।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य मोहन नौटियाल)
अपर सचिव।